"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 546] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 — अग्रहायण 28, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 — (अग्रहायण 28, 1939)

क्रमांक-11444/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017), जो मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 165 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 165 में, उप-धारा (6) में, खण्ड (दो) में,-

(क) प्रथम परंतुक में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि इस उप-धारा के प्रावधान, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" के अंतर्गत अंतरित की जाने वाली भूमि पर लागू नहीं होंगे."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 165 के प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 165 के प्रावधान में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

प्रेम प्रकाश पाण्डेय
राजस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उप-धारा (6) के सुसंगत उद्धरण-

(6) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस संबंध में अधिसूचना द्वारा, उसे पूरे क्षेत्र के लिये, जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (एबारीजनल ट्राइब) होना घोषित किया गया हो, किसी भूमिस्वामी का अधिकार -

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें आदिम जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हों, तथा ऐसे तारीख से, जिसे/जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार सबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायगा और न ही अंतरणीय होगा ;

(दो) खण्ड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायगा और न ही अंतरणीय होगा ;

परन्तु इस उप-धारा के प्रावधान, भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के अंतर्गत अर्जित भूमि को लागू नहीं होंगे.

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, अभिव्यक्ति 'अन्यथा' के अंतर्गत पट्टा नहीं आता है.

****

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.